संख्या 20/ 2016 / 2362/ सत्रह- म- 2016- 6-9(333)/2016

प्रेषक

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

निदेशक मत्स्य
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 24 दिसम्बर 2016

विषय - भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत''ब्लू रिवोलुशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-निर्देश /गाइड लाइन्स ।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में नीली क्रान्ति मिशन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाने हेतु पूर्व संचालित समस्त केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को एक अम्ब्रेला के अन्तर्गत लाते हुए नयी केन्द्र पुरेानिधानित योजना के अन्तर्गत '' ब्लू रिवोलुशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' योजना को प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बंध में भारत सरकार के पत्र संख्या- 27035-19/2015 एफ0वाई0 (आई0वी0) वाल्यूम II दिनांक 20 मई 2016 द्वारा निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन जिसमें प्रत्येक मद में इकाई लागत निर्धारित है एवं भारत सरकार के पत्र संख्या- 27035-19/2015 एफ0वाई0 (आई0वी0) वाल्यूम II दिनांक 30 जून 2016 द्वारा निर्गत् दिशा- निर्देशों तथा भारत सरकार के पत्र संख्या- 31035/04/2016 - एफ0वाई0 (3) दिनांक 14 अक्टूबर 2016 द्वारा निर्गत आंशिक संशोधित मार्ग-निर्देश के अनुरूप प्रदेश में '' ब्लू रिवोलुशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' योजना को यथावत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

(1) '' ब्लू रिवोलुशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज''योजना में भारत सरकार द्वारा मछुआ कल्याणकारी उपयोजनान्तर्गत मछुआरों के लिए आवास के निर्माण हेतु रू0 1.20 लाख प्रति मछुआ आवास इकाई लागत निर्धारित की गयी है, जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात रू0 0.60 लाख् की अधिकतम सीमा तक की धनराशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा, परन्तु राज्य सरकार द्वारा कार्य की गुणवत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत मछुआ आवासों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित लोहिया आवास योजना की इकाई लागत एवं मानकों के अनुरूप बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या –

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1107/सत्रह-म-2014-6-9 (40)/2014 दिनांक 27 जून 2014 एवं सपठित् शासनादेश संख्या – 05/2015/278 /सत्रह-म-2015-6-9 (40)/2014 दिनांक 23 फरवरी 2015 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में मछुआ आवास की निर्माण् इकाई लागत रू0 3.05 लाख निर्धारित है जिसमें से रू0 0.60 लाख केन्द्रांश का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष रू0 2.45 लाख राज्यांश का वहन प्रत्येक आवास हेतु राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । मत्स्य उत्पादन अनुभाग के शासनादेश संख्या – 1083/57-म-2001-10-7 (27)/84 दिनांक 21-07-2001 में मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपद में ग्रामों का चयन मण्डलीय स्तर पर गठित विभागीय समिति द्वारा एवं लाभार्थियों का चयन ग्रामसभा की खुली बैठक में कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित है जिसे प्रश्नगत योजना में भी लागू माना जायेगा । लाथार्थियों के चयन में '' ब्लू रिवोलुशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप निम्न मानकों को वरीयता क्रम में रखा जायेगा –

- आवासी यूनिट में स्वच्छता सुविधा के साथ लोहिया आवास की भॉति न्यूनतम 30 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होगा ।
- लाभार्थियों को मत्स्यन क्रियाकलापों में सक्रिय रूप में शामिल होना चाहिए ।
- गरीबी रेखा से नीचे के (बी0पी0एल0) एस0सी0 /एस0टी0 मछुआरे और लघु व मध्यम कृषकों को वरीयता दी जायेगी ।
- कच्चा घर रखने वाले लाभार्थी को पक्काघर उपलब्ध कराने के लिए भी विचार किया जायेगा ।
- एक ग्राम में कम से कम 20 मछुआ आवास निर्गत कराये जायेगें तथा क्लस्टर आधारित विकास को प्राथमिकता दी जायेगी ।
- मछुआ आवासों हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त लाभ जैसे स्वच्छता, जल, ऊर्जा आदि की सुविधा दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निर्मित किये जाने वाले आवासों का क्षेत्रफल लोहिया आवासों की भॉति 30 वर्गमीटर होगा किन्तु यदि लाभार्थी द्वारा अपनी सुविधा व व्यवहारिकता के दृष्टिगत आवासों का क्षेत्रफल बढाना चाहता है तो स्वयं के व्यय पर बढा सकता है परन्तु ले- आउट के अनुसार आवास की फर्श व चौखट में कमी नहीं होगी । लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों के क्षेत्रफल अन्य विशिष्टियों तथा निर्माण लागत में समय-समय पर होने वाले पुनरीक्षण, मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों पर भी स्वतः यथावत लागू होगें। उक्तानुसार योजना का प्रदेश में कार्यान्वयन किया जायेगा ।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (ब्लू रिवोलुशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज) के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- 27035-19/2015 एफ0वाई0 (आई0वी0) वाल्यूम II दिनांक 30 जून 2016 द्वारा निर्गत् दिशा-निर्देश एवं भारत सरकार के पत्र संख्या- 31035/04/2016 - एफ0वाई0 (3) दिनांक 14 अक्टूबर 2016 के द्वारा निर्गत आंशिक संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित किये गये मानकों के अनुरूप प्रदेश के समीपस्थ एवं आपस में जुडे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हुए अधिकतम 03 से 04 जनपदों, जनपदों में समीपस्थ एवं आपस में जुडे हुए कम से कम विकास खण्डों और पुनः इन विकास खण्डों में भी समीपस्थ एवं एक साथ जुडे ग्रामों से योजना के क्रियान्वयन हेतु मछुआ आवास निर्माण से अच्छादित होने वाले सम्बंधित जनपदों के चयन का निर्णय मा0 विभागीय मंत्रीं जी की अध्यक्षता में गठित 04 सदस्यीय समिति द्वारा शासन स्तर पर लिया जायेगा ।

(3) '' ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' योजना में प्रशिक्षण एवं स्टेन्थिनिंग ऑफ डाटाबेस एण्ड ज्योग्राफिकल इन्फारमेंशन सिस्टम आंफ द फिशरीज सेक्टर, इन्फ्रास्टक्चर आदि मदों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राविधानित शतप्रतिशत वित्त पोषण की अधिकतम सीमा निर्धारित है । इस योजना के संचालन हेतु भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना की विस्तृत योजना विवरण (डी0पी0आर0) बनाते हुए लाभार्थीपरक योजना हेतु लाभार्थी द्वारा कार्य कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी विभागीय परियोजनाओं हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कराया जायेगा ।

केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थीपरक उपयोजनाओं में परियोजना हेतु निर्धारित इकाई लागत की अधिकतम सीमा के सापेक्ष्य परियोजना लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 25 प्रतिशत राज्यांश तथा 25 प्रतिशत सम्बंधित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।

(4) '' ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या- 27035-19/2015 एफ0वाई0 (आई0वी0) वाल्यूम II दिनांक 30 जून 2016 द्वारा निर्गत् दिशा-निर्देशों को आधार मानते हुए तैयार किये गये दिशा-निर्देशों को अंगीकार करते हुए तदनुसार प्रदेश में '' ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' की समस्त योजनाओं (भारत सरकार के पत्र संख्या- 31035/04/2016 - एफ0वाई0 (3) दिनांक 14 अक्टूबर 2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये आंशिक संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार संचालित करते हुए)को संचालित किया जायेगा ।

(5) भारत सरकार द्वारा योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक मद में कुल योजना की अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान अनुमन्य है । इस प्रशासनिक मद के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के समतुल्य राज्यांश जो 50 प्रतिशत से अनधिक होगा, की व्यवस्था करते हुए परियोजना के कार्यान्वयन एवं उसके अनुश्रवण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यय के रूप में निदेशक मत्स्य के निर्देशन में किया जायेगा ।

(6) '' ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष लाभार्थीपरक परियोजनाओं में कुल लागत का मैचिंग 25 प्रतिशत राज्यांश तथा 25 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा एवं विभागीय परियोजनाओं में कुल लागत का मैचिंग 50 प्रतिशत राज्यांश के माध्यम से व्यय किया जायेगा ।

(7) '' ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' योजना के स्वरूप में भारत सरकार के स्तर से यदि भविष्य में कोई संशोधन किया जाता है, तो योजना के संशोधित स्वरूप पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उसे लागू किया जायेगा । उक्त के अतिरिक्त '' ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' के योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार के पत्र संख्या- 27035-19/2015 एफ0वाई0 (आई0वी0) वाल्यूम ।। दिनांक 30 जून 2016 द्वारा निर्गत दिशा - निर्देशों को आधार मानते हुए तैयार किये गये दिशा- निर्देशों में यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा यदि संशोधन की आवश्यकता पायी जाती है, तो संशोधित स्वरूप पर मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेगें।

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव

संख्या 20 / 2016 /2362 (1)/ सत्रह- म- 2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
2- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0 ।
4- संयुक्त निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री इलाहाबाद को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी उ0प्र0 लखनऊ ।
7- समस्त उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0 ।
8- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य उ0प्र0 ।
9- न्याय अनुभाग-6/ नियोजन अनुभाग-3 ।
10- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय – व्ययक) अनुभाग-1
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल दिवेदी)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।